न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बइजलास हीरालाल मीना, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

व वाद संख्या 182/2013

:— 1. गुमाननाथ माता परमुड़ी पत्नि रामनाथ उर्फ रामुनाथ
जाति नाथ निवासी गंगारड़ा, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

वादीगण :—

1. परमुड़ी बेवा रामूनाथ उर्फ रामनाथ
2. ओमनाथ पुत्र श्री रामूनाथ उर्फ रामनाथ .
3. महेन्द्रनाथ पुत्र श्री रामूनाथ उर्फ रामनाथ
4. चम्पानाथ पुत्र जेठनाथ परिवर्तित नाम रामनाथ उर्फ रामूनाथ पुत्र श्री छोटनाथ ,सभी जाति नाथ निवासीगण गंगारड़ा, तहसील मेड़ता
5. तहसीलदार, मेड़ता
6. श्रीमान शाखाप्रबन्धक महोदय, जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा मेड़ता सिटी तहसील मेड़ता
7. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मेड़ता सिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जैर धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक —18.09.17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के वाद पेश कर निवदेन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज छोटनाथ के खातेदारी के नये खेत खसरा नं. 149 रकबा 1.00 हैक्टेयर (पुराने खसरा नं. 16) , नया खसरा नं. 151 रकबा 1.79 हैक्टेयर (पुराने खसरा नं. 12) , नया खसरा नं. 152 रकबा 1.76 हैक्टेयर (पुराने खसरा नं. 11), नया खसरा नं. 176 रकबा 0.12 हैक्टेयर , नये खसरा नं. 177 रकबा 3.44 हैक्टेयर(पुराने खसरा नम्बर 16मीन) वाके मौजा सरहद गंगारड़ा में स्थित है। जिसका भू— प्रबन्धक विभाग राजस्थान सरकार का मिलान क्षेत्रफल की नकल वाद के साथ सलंग्न है। छोटनाथ के फौत हो जाने पर छोटनाथ के पुत्र बनानाथ, रामनाथ/रामूनाथ के नाम फौतकाल नामान्तरकरण भरा जाकर बनानाथ, रामनाथ/रामुनाथ को छोटनाथ के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। सम्वत 2028 से 2031 के मध्य बनानाथ के फौत हो जाने पर बनानाथ अविवाहित व निसंतान होने के कारण से रामूनाथ जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति के नाम नामान्तरकरण संख्या 66/25—11—1975 भरा गया। जिससे खातेदारी अधिकार रामनाथ/रामूनाथ पुत्र छोटनाथ को प्राप्त हो गये। खतौनी नकल संवत 2028 से 2031 पेश है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता रामनाथ/रामूनाथ के फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रामनाथ/रामूनाथ की धर्मपत्नी होने के कारण से उत्तराधिकारी के रूप में रामनाथ/रामूनाथ के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। जिसके संबध में खतौनी नकल संवत 2032 से 2035 प्रति पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 मौकाला का स्थाई निवासी है तथा जेठूनाथ का जाईन्दा पुत्र है जिसकी चल व अचल संपति ग्राम मौकाला में स्थित है प्रतिवादी 1 युवावस्था में रामनाथ/रामुनाथ के फौत हो जाने पर विधवा हो गई तथा रामनाथ/रामूनाथ के परिवार में प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई सम्पति का उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी नहीं होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 से नाजायज संबध स्थापित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के पास में स्थाई रूप से निवास करने लग गया तथा अपनी पूर्व की वल्दीयत व नाम को अपराधिक नियत से छिपाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के पति

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

स्व. रामनाथ/रामूनाथ पुत्र छोटनाथ की खातेदारी व पैतृक सम्पति रूपी खत खसरानों व रकबानों का उपयोग व उपभोग करने लग गया तथा अपने आपकों रामनाथ/रामूनाथ पुत्र छोटनाथ बतलाते हुए ग्राम पंचायत कलरू से परिवार राशन कार्ड भी झूठा एवं बेबुनियादी बनवा लिया। जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 पर अपना नाजायज दबाव एवं प्रभाव का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा परमूड़ी बेवा रामनाथ/रामूनाथ के खातेदारी का खेत खसरा नं. 21 रकबा 14 बीघा 16 बिश्वा का बेचान मुसुमात भोलकी जोजे भंवरू निवासी गंगारड़ा के पक्ष में करवा दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 80 है। नकल खतौनी सम्वत 2032 से 2035 वाद के साथ संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 4 बदमाश, चालाक, एवं झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति हैं तथा नशे – पते का आदी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 पर सदैव अपना नाजायज प्रभाव डालकर के मारपीट, गाली–गलोच आदि करके भयभीत आदि करता रहता है। इसी भयभीत के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 के कहने पर खसरा नं. 21 रकबा 14 बीघा 16 बिश्वा को बेचान किया जिसकी प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने मौज उड़ाते हुए हजम कर ली तथा प्रतिवादी संख्या 4 चालाक व बदमाश होने के कारण से रामनाथ उर्फ रामूनाथ जो प्रतिवादी संख्या 1 का पति है तथा वह फौत हो चुका है। फौत होने के बावजूद उसी के नाम का सहारा लेते हुए उसे जीवित अवस्था में अपराधिक नियत से बनाये रखने हेतु राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके प्रतिवादी सं. 1 के बेवा रामूनाथ उर्फ रामनाथ के स्थान पर बेवा को हटवाते हुए धर्मपत्नी रामूनाथ उर्फ रामनाथ खातेदारी रेकर्ड में इन्द्राज करवा लिया। खतौनी नकल सम्वत 2065 से 2068 वाद के साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 युवा अवस्था में थी तथा प्रतिवादी सख्या 4 उसकी युवा अवस्था का नाजायज संबध स्थापित करके उपयोग व उपभोग में ले लिया तथा अब प्रतिवादी संख्या 4 की प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी के प्रति दुरभावनापूर्वक है और दुरभावना के कारणवश प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 पर अपने नाजायज दबाव से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की माता प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी इन्द्राज के वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित सभी खेत खसरानों को बेचने पर आमदा हो रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपनी पैतृक सम्पति रूपी उक्त वर्णित विवादग्रस्त खेत खसरान व रकबान से मेहरूम करने पर आमदा हो रखा है।

विवादग्रस्त खेत खसरान व रकबान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 पर अपना नाजायज दबाव एवं प्रभाव एवं मारपीट आदि करने का भय दिखाते हुए प्रतिवादी संख्या 6 से किसान क्रेडिट ऋण प्राप्त कर रखा है तथा ऋण राशि का दुरूपयोग अकेला प्रतिवादी संख्या 4 अपने गलत व्यसनों में करके ऋण राशि खर्च चुका है तथा खेतों से प्राप्त फसल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बाले बाले बेचकर के घेंवरी बेवा जेठनाथ जो प्रतिवादी संख्या 4 की जाईन्दा माता है जो प्रतिवादी संख्या 4 के पास में आति जाती रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से नाजायज लाभ भी अर्जित करती रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 4 की जाईन्दा माता घेंवरी मोकाला में न रहकर के ग्राम खाखड़की में निवास करती है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 4 अपनी जाईन्दा माता का भला चाहते हुए उसे नाजायज लाभ प्रदत करते हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के भविष्यलक्षी कृषि पैदावार व विवादग्रस्त खेत खसरान व रकबान से प्राप्त लाभों से व खसरानों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बेचान अथवा हस्तान्तरण करवाकर के मेहरूम करने पर आमदा हो रखा है। जिस कारण से वादी को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हो गया जिससे पेश है। अतः दावा वादी पैरा संख्या 10 के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

वादी ने अपने पक्ष समर्थन में ग्राम गंगारड़ा के जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 52 , खसरा नं. 32 से 35 खाता संख्या 75 खसरा नं. 28 से 31 खाता संख्या 38 खसरा नं. 39 से 42 खाता संख्या 50, परिवार राशन कार्ड, जयपुर थार ग्रामीण बैंक की रसीद, मिलान क्षैत्रफल की प्रतियां पेश की।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

से 7 के विरूद्ध दिनांक 06.02.2014 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्य के रूप अपना शपथ पत्र पेश किया

विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी वादी की माता परमुड़ी के नाम दर्ज है तथा प्रातिवादी संख्या 4 बदमाश, चालाक व नशाखोर होने से प्रतिवादी 1 साथ मारपीट करके भयभीत कर मुतनाजा आराजी का बेचान हस्तांतरण करवाने सफल हो गया तो वादी व प्रतिवादी 1 से 3 अपने हितों से महरूम हो जायेगें और जीवन निर्वाह भी संकट में हो जायेगा भूखे मरने की नोबत आ जायेगी अतः माफिक दावा के पैरा संख्या 11 के अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहें है जिससे प्रतिवादीनी की प्रकरण में सहमति ही मानी जावेगी यदि प्रतिवादीगण को कोई उज्जर एतराज होता तो वह अवश्य न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा प्रमाणित होने निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

स्थाई निषधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गंगारड़ा के खसरा नं. 149 रकबा 1.00 हैक्टेयर , 151 रकबा 1.79 हैक्टेयर, 152 रकबा 1.76 हैक्टेयर, 176 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 177 रकबा 3.44 हैक्टेयर की राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिती बनाई रखें।

डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned by CamScanner